महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriaya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

आज़ादी का अमृत महोत्सव

डॉ. शंभू जोशी /Dr. Shambhu Joshi
एसोशिएट प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी
Associate Professor & Public Information Officer

27/2021-22/1984/12600
दिनांक : 20 /01/2022

महादेय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 13.12.2021 का आवेदन कार्यालय में दिनांक 06.01.2022 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना के अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
निवेदन है कि मै नरेन्द्र कुमार नामा पुत्र श्री राधेश्याम नामा जिसके द्वारा बी. एड. प्रवेश हेतु 2021-23 हेतु फॉर्म संख्या MGAHV 21000305 द्वारा आवेदन किया गया था जिसमें टैगोर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, नागौर कुचामन सिटी द्वारा दिनांक 11.11.2021 द्वारा आवेदन किया गया था जिसमें जाति प्रमाण पत्र 14.06.2016 संलग्न (अपलोड) किया गया था। मेरा आवेदन NCL (Non Creamy Layer) अद्यतन न होने का हवाला देकर रिजेक्ट कर दिया गया। जिसके संबंध में मेरे द्वारा निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट जानकारी चाहिए:-		
01	मेरे द्वारा आवेदित समय में जाति प्रमाणपत्र दिनांक 14.06.2016 का अपलोड किया गया था लेकिन मेरे द्वारा स्पीड पोस्ट- ER697588402IN द्वारा नवीनतम जाति प्रमाणपत्र 17.11.2021 को बना हुआ दिनांक 20.11.2021 को स्पीड पोस्ट से भेजा गया जो कि आपके कार्यालय को 26.11.2021 को प्राप्त हो गया। क्या, मेरे द्वारा भेजा गया नवीनतम जाति प्रमाणपत्र पर निदेशालय द्वारा जाँच/गौर किया गया ? यदि हाँ तो फिर मेरा नाम अपात्र सूची में क्यों आया और यदि नहीं तो क्यों नहीं देखा गया ? लिखित में जवाब प्रस्तुत करे।	नियमानुसार आवेदकों द्वाराऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रमाणपत्रों के आधार पर ही आवेदन पत्रों की जाँच की जाती है। आवेदक द्वारा 2016 में बना समय बाधित (Time Barred) जाति प्रमाणपत्र (NCL) अपलोड किया गया, जिस कारण आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। केवल उन्हीं प्रमाणपत्रों की जाँच की जाती है, जो ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न हों।
02	मेरे द्वारा जब आवेदन के समय सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करवा दिए गए और उसके बाद निदेशालय को भी भेजे गए तदुपरान्त NCL अद्यतन कहकर फॉर्म रिजेक्ट करना कहाँ तक न्यायसंगत है ? क्योंकि फॉर्म अपलोड में समय लगने से व उस समय तक नवीनतम जाति प्रमाणपत्र न होने से अपडेशन नही हों पाया। यदि आप कि इस संबंध में उचित टिप्पणी हो तो लिखित में उत्तर प्रस्तुत करे।	ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में समय बाधित जाति प्रमाणपत्र (NCL) अपलोड करने के कारण आवेदक के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया।

कृ.पा.उ.

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriaya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

आज़ादी का अमृत महोत्सव

03	मेरे द्वारा स्पीड पोस्ट से भेजे गए दस्तावेजों में फॉर्म (आवेदन) प्रति, सेवा प्रमाणपत्र, (ओरिजनल), जाति प्रमाणपत्र अपलोड- 14.06.2016 नवीनतम- 17.11.2021, 10th, 12th, BA, MA, BSJC (I, II व प्रमाणपत्र), मूल निवास, नियुक्ति पत्र भेजे गए। सभी संलग्नकों के बावजूद भी आवेदन को 'NCL' अद्यतन कहकर निरस्त किया गया। मेरे द्वारा भेजा गये सभी संलग्नक आपके रिकॉर्ड में किस क्रमांक, दिनांक व पृष्ठ पर अंकित किए गए है ? उत्तर लिखित में प्रस्तुत कीजिए।	ऑनलाइन आवेदन के साथ जो प्रमाणपत्र संलग्न किए जाते हैं, नियमानुसार उन्हीं की जाँच की जाती है। आवेदक को समय बाधित प्रमाणपत्र के स्थानापन्न के लिए नियमानुसार आवेदन करना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। आवेदक द्वाराभेजे गये संलग्नक रिकॉर्ड में अनु. क्रमांक 198, दिनांक 02.12.2021 व पृष्ठ 09 पर अंकित है।
04	मै यह जानना चाहता हूँ कि जब ऑनलाइन में अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर विचार किया जाता है तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भेजने की प्रक्रिया से क्या लाभ ? यदि इस प्रक्रिया से कोई फायदा हो तो कृपया सुझाव व टिप्पणी स्पष्ट कीजिए। क्योंकि यदि डॉक्यूमेंट चैक (जाँच) की जाती है तो इससे मुझे वंचित क्यों रखा गया।	ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रमाणपत्रों की आवेदकों द्वारा स्वप्रमाणित मुद्रित प्रति विश्वविद्यालय के अभिलेख में सुरक्षित रखने के लिए प्राप्त की जाती है।
05	बी.एड. प्रवेश में जारी कट ऑफ मार्क्स अन्तर्गत मेरा चयन हो जाता है लेकिन 'NCL' अद्यतन की कमी से मुझे वंचित कर दिया गया। इस विषयवस्तु का जिम्मेदार कौन है ? आपके द्वारा उस पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी ? लिखित में उत्तर दीजिए ?	आवेदक द्वारा समय बाधित जाति प्रमाणपत्र (NCL) अपलोड किया गया था। इसलिए इस हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी हैं।
06	यदि संलग्नकों पर विचार नहीं किया जाता है तो आवेदक को भेजने की मशक्कत में लगने वाले समय का उपयोग वह समय पर फॉर्म भरने में कर सकता है और इसके बावजूद कोई कमी रहती है तो फिर आपके द्वारा निरस्त आवेदन माना जाएगा। क्या, मेरे इस बिन्दु पर विचार किया जाएगा ? यदि नहीं तो मेरे द्वारा भेजे गए संलग्नकों पर विचार क्यों नही किया गया।	ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न प्रमाणपत्रों की ही जाँच की जाती है।
07	यदि मेरा चयन आपके कार्यालय की कमी से वंचित हो जाता है/गया है तो मेरे नाम पर इसी सत्र हेतु भविष्य में विचार किया जाएगा ? यदि हाँ तो कब तक होगा ? व इसकी क्या प्रक्रिया होगी लिखित में जवाब प्रस्तुत करे।	अवांछित प्रश्न।

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं –

प्रथम अपीलीय अधिकारी
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र
फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय

(शंभु जोशी)
20/01/2022